(2)

168

5

संख्या– 593 /नि0स0–स0स0क0/2017

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखंड।

समाज कल्याण विभाग

देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2017

विषयः– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लाभार्थियों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के कम में शासन के संज्ञान में आया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में तथा राज्य के बाहर के सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र–छात्राओं का बिचौलियों के माध्यम से छात्रों के विभिन्न अभिलेख प्राप्त कर तथा उनके छात्रवृत्ति के वितरण हेतु छात्रों के नाम खोले गये बैंक खातों से छात्रवृत्ति आहरण हेतु बैंक आहरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर इनका फर्जी प्रवेश कराया जाता है व बिना कक्षाओं में उपस्थित हुये उनकी उपस्थिति पंजिकाओं में फर्जी उपस्थिति दर्ज कराते हुये तथा सत्रावसान में परीक्षा में उपस्थिति दर्शाते हुये उनकी छात्रवृत्तियां आहरित की जा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के धन का दुरूपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में कृपया छात्रवृत्तियों के वितरण में पारदर्शिता लाये जाने हेतु तथा फर्जी रूप से छात्र–छात्राओं के प्रवेश की रोकथाम हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

1. सर्वप्रथम जिलाधिकारी समाज कल्याण विभाग के आई0टी0 प्रकोष्ठ तथा संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से वर्ष 2014–15 से अब तक समस्त छात्रवृत्ति के आवेदकों की सूची प्राप्त कर लें।
2. उक्त सूची (नाम/पिता का नाम/पता/संस्था/पाठ्यक्रम विवरण) को स्थानीय समाचार–पत्रों में इस आशय से प्रकाशित किया जाये कि सूची में उल्लिखित छात्र–छात्राओं के विवरण में किसी प्रकार की आपत्ति है तथा किसी छात्र–छात्रा का नाम उनके संज्ञान के बिना उल्लिखित पाया जाता है तो जिलाधिकारी को सूचित किया जाये। जिलाधिकारी के संज्ञान में कोई अनियमितता आती है तो निदेशक समाज कल्याण व आई0टी0 प्रकोष्ठ को सूचित करेंगे।

निदेशालय
दिनांक 3.3/17
4007

3. उक्त सूची के समस्त छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाये जिसमें छात्रों का नाम, पता, माता–पिता /अभिभावक का नाम, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, पूर्व में प्राप्त शिक्षा का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खातों का विवरण प्राप्त किये जाये।
4. भौतिक सत्यापन में सत्यापित छात्र–छात्राओं से यह ज्ञात कर लिया जाये कि उनके द्वारा संबंधित संस्थाओं में वास्तव में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया था अथवा नही। किस पाठ्यक्रम में आवेदन किया गया, वर्तमान में अध्ययनरत है अथवा नहीं प्रवेश हेतु किसी बिचौलिये की सहायता प्राप्त की गई अथवा किसी बिचौलिये द्वारा सम्पर्क किया गया। कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज कराई गई अथवा नहीं। परीक्षा में भाग लिया अथवा नहीं, उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं और उत्तीर्ण हुआ तो प्रमाण पत्र मिला अथवा नहीं।
5. छात्र–छात्राओं से यह भी ज्ञात किया जाये कि उनके द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि कितना और कैसे (नकद/बैंक खाता द्वारा) प्राप्त किया गया है तथा किस अधिकारी द्वारा पूर्व में उनका भौतिक सत्यापन किया गया है।
6. उपरोक्त सत्यापन में असत्यापित पाये जाने वाले छात्र–छात्राओं के सम्बन्ध में उक्त अनियमितता से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, छात्र–छात्राओं/अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की प्रारम्भिक जांच कर अपराधियों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम/धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सत्यापन कार्य अपनी निगरानी में समाज कल्याण विभाग से इतर अन्य अधिकारियों से शत–प्रतिशत कराया जाना तथा उपरोक्त सत्यापन का 10 प्रतिशत **Random Sampling** के आधार पर स्वयं भी सत्यापन करना सुनिश्चित करें। **तथा सत्यापन रिपोर्ट संस्थावार व पाठ्यक्रमवार एक माह के भीतर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः /नि0स0–स0क0/2017, दि0 यथोक्त।
प्रतिलिपि–

1. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
2. नोडल अधिकारी, आई0टी0 प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।